ne come



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०-

डब्लू० / एन०पी0-91 / 2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारा गजट, उत्तर प्रदश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विघायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनक, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 अग्रहायण 19, 1941 शक सम्वत्

"उत्तर प्रदेश **शास**न

सूहम, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4

संख्या 825/18-4-2019-3(बीडा)-2001 लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2019

### अधिसूचना

TO WIND THE THEFT WILL LIBERT

#### सा0प0नि0-72

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 9 की उप धारा (2) और धारा 19 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्झारा मदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र मवन विनियमावली,2014 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :-

भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2019

1-(1) यह विनियमावली भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2019 कही जायेगी।

रंक्षिप्त नाम और

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

📆 2 मदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2014, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में विनियम 9 में, नीचे स्तम्म-1 में दिए गए उपविनियम (4) के स्थान पर स्तम्म-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

विनियम 9 का संशोधन

#### स्तम्भ-1

विद्यमान उप विनियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम (4)—एक बार भवन योजना की जाँच (4)—एक बार योजनाओं की संविक्षा

1 विकास (100 के प्राप्त के किएस)

कर लेने और आपित्तयाँ यदि कोई कर लिये जाने पर और आपित्तयाँ,

#### स्तम्म-1

#### विद्यमान उप विनियम

हो, इंगित कर लेने पर आवेदक उठाई गयी आपत्ति का निराकरण करने के लिए योजना में उपान्तर करेगा और उसे फिर से प्रस्तुत करेगा। यदि आपत्तियों को 01 वर्ष की अवधि तक दूर नहीं की जाती है तो योजना अस्वीकृत कर दी जायेगी।

#### स्तम्म-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम
यदि कोई हो, इंगित कर दिये जाने
पर आवेदक, उठाई गयी आपित्तयों का
निराकरण करने के लिए योजनाओं में
उपान्तरण करेगा और उन्हें पुनः प्रस्तुत
करेगा। यदि आपित्तयाँ, आवेदक द्वारा
03 माह की अवधि तक असमाधान
कृत रहती हैं तो अनुङ्गा अस्वीकृत कर
दी जायेगी।

विनियम 14 का संशोधन 3-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्म-1 में दिये गये विनियम 14 के स्थान पर स्तम्म-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

#### ्<u>स्तम्भ-1</u> विद्यमान विनियम

14 कार्व निष्पादन, परिक्षेत्रीय विनियमों, भवन विनियमों और निदेशों के पूर्ण अनुसरण में किया जायेगा- न तो अनुज्ञा की स्वीकृति, न आरेख एवं विनिर्दिष्ट के अनुमोदन, न ही भवन निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण से ऐसे भवन का स्वामी महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमों, इन विनियमों योजना और विकास निर्देशों के अनुसार कार्य कराये जाने के पूर्ण उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। यदि निर्माण के दौरान या समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात कोई उल्लंघन पाया जाता है तो स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे अतिक्रमण के संबंध में सूचित होने के संबंध में 15 दिन की अवधि के मीतर प्राधिकरण को समाधानप्रद रूप में उक्त उल्लंघन का निराकरण कर लें। यदि स्वामी उक्त का अनुपालन करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगा और ऐसा करने में उपगत हुये व्यय की वसूली समापन प्रमाण पत्र के जारी होने से पूर्व स्वामी से ली जायेगी। यदि समापन प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया गया हो तो ऐसे व्यय को, यदि नियत समय के भीतर भुगतान न किया गया हो, मू-राजस्व के बकाये के रूप में स्वामी से वसूल किया जायेग

#### स्तम्भ-2

एतदृद्वारा प्रतिस्थापित विनियम निष्पादन, परिक्षेत्रीय विनियमों विनियमों और निदेशों तथा अप्राधिकृत विकास पर कार्यवाही के पूर्ण अनुसरण में किया जायेगा। 14-(1) न तो अनुज्ञा की स्वीकृति, न आरेखों एवं विनिर्देशों के अनुमोदन, न ही भवन निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण से ऐसे भवन का स्वामी महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमों, इन विनियमों या योजना और विकास निर्देशों के अनुसार कार्य कराये जाने के पूर्ण उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। यदि निर्माण के दौरान या समापन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात कोई उल्लंघन पाया जाता है तो स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे अतिक्रमण के संबंध में सुन्नित होने के लिए 15 दिन की अवधि के मीतर प्राधिकरण को समाधानप्रद रूप में उक्त उल्लंघन का निराकरण कर ले। यदि स्वामी उक्त का अनुपालन करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगा और ऐसा करने में उपगत हुये व्यय की वस्ती समापन प्रमाण-पत्र के जारी होने से पूर्व स्वामी से की जायेगी। यदि समापन प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया गया हो तो ऐसे व्यय को, यदि नियत समय के भीतर भुगतान न किया गया हो, भू-राजस्व के बकाये के रूप में स्वामी से वसूल किया जायेगा।

## विद्यमान विनियम

THEFT OF BUILDING A TRACT

### स्तम्म-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(2) अप्राधिकृत विकास के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अप्राधिकृत निर्माणों को ढहाये

जाने और परिसरों को बंद किये जाने के लिए तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्यवाही करेगा।

4-उक्त विनियमावली में, विनियम 37 में, सारणी संख्या-2 के पूर्व निम्नलिखित सारणी बढा दी जायेगी. अर्थात

ाण्या । त्राप्तिका संख्या 1

सामुहिक फ्लैट वाले आवासों से भिन्न आवासीय भूखण्डों पर निर्माण के लिए .

सेट बैक

टिप्पणी-(1) विशिष्ट सेट बैक प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये परिक्षेत्रीय योजना के अनुसार होगा।

The March 12 of the grade to the to the could be found to the court of the court of

(2) द्वितीय तल के ऊपर ममटी की अनुज्ञा नहीं होगी।

Development.

- (3) द्वितीय तल की छत पर पहुँच की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (4) फ्रंपर दिये गये सभी आयाम मीटर में है। a pouce of the applicant him over political rate declaration could

<b>पहले से अनुस्थिति ।</b> जो इस्तिमार्ग्य प्रियम् रातिर्थ								म्-खण्डा की नथी जेजी के लिए सेटबैक / जोनस प्लान							
gett to Tell <b>4-848 Aut</b> bestring	५० व व्य बीहर क			1200 WT 1200 WT 1200 WT	Apr 4 200	३०६.० सर्ग सीटा के 400 को सीटा एक	der à 500	500:0 सर्व जीवर से 750 क्रमें मीहर स्थ	4 1 800	10000 W Surt 1250 of Sur W	<b>300 € 1900</b>	1596.0 सर्व बेट्ट के 1750 सर्व बेट्ट कर	<b>Ser 9</b> 2000		
अवन परिधि									1						
	75	75	75	75	75	65	65	60	55	55	<b>50</b>	50	45		
	200	190	180	180	180,0	1,60	160	150	150	150	135	135	125		
sifeson desi	15	15	15	15	150	15	15	15	15., 1	15	15	15	15		
प्रतिष्ठ कंत्रका के अनुवार सामने का केटकद	1.50	1.50	2.0	3.0	3.25	4.00	4.50	5.00	6.00	7:00	10.00	12.50	12.50		
व्यापि योजना के अनुकार के के सामने अर्थ का बेटरंगर	•		-	21 <del>-</del> 10	3.0x4.5	3.0×15.0	3 0)20.0	3.5x25.0	3.5x30 0	4 0x35.0	4.5x35.0	6.0x40.0	6.0x43.0		
den de segue 3		-	- '		£ - 4		- - -,	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50		
र्वके का कुमान केवल । (वीर्विक केवल के अनुसार )	24215	3020	4.412.4	5.2x2.4	5.5x3.0	6.0x3.0	9.0x3.5	11.0x3.5	14.0x4.0	16.5x4.5	19.534.5	21.5x4.5	24.0x9.0		

" Sinz At-

आज्ञा से. नवनीत सहगल. प्रमुख सचिव।

300

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.825/XVIII-4-2019-3(BIDA)/2001, Dated 10-12-2019:

### No. -825/XVIII-4-2019-3(BIDA)/2001

Dated Lucknow, December 10, 2019

In exercise of the powers under sub section(2) of section 9 and section19 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no.-VI of 1976) and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P. Act, no.1 of 1904) the Bhadohi Industrial Development Authority with the previous approval of the State Government hereby makes the following regulations with a view to amending the Bhadohi Industrial Development Area Building Regulation, 2014.

#### THE BHADOHI INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2019.

Short title and commencement

- 1. (1) These regulations may be called the Bhadohi Industrial Development Area Building (First Amendment) Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment Λf regulation-9

2. In the Bhadohi Industrial Development Area Building Regulations, 2014 hereinafter referred to as the said regulations, in regulation 9 for sub-regulation 4, set out in column-1 below, the sub-regulation as set out in column-2 shall be DE WARE C पर करती हैं। संपर्द substituted, namely :-

#### COLUMN-1

(4) Once the plans have been scrutinized and objections, if any, have been pointed out, the applicant shall modify the plans to comply with the objections raised andresubmit them. If the objections remain unresolved for a period of one year, the permit shall be refused.

#### COLUMN-2

Existing sub-regulation Sub-regulation as hereby substituted

(4) Once the plans have been scrutinized and objections, if any, have been pointed out, the applicant shall modify the plans to comply with the objections raised and re-submit them. If the objections remain unresolved by the applicant for a period of three months, the permit shall be refused.

Amendment of regulation-14

3. In the said regulations, for regulation 14 set out in column 1 below, the regulation as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

#### COLUMN-1

#### Existing regulation

#### COLUMN-2

#### Regulation as hereby substituted

Work to be carried Out in full accordance of Zoning Regulations, Building Regulations and Directions

14 (1) Neither granting of the permit nor the approval of and drawings specifications, nor inspection made by the Authority during such erection shall in any way relive the owner of such building from full responsibility carrying out the Work in accordance with the requirements of Zoning

Work to be Carried out in full accordance of Zoning Regulations, Building Regulations and Directions and action on Unauthorized Development

14 (1) Neither granting of the permit nor the approval of drawings and specifications, inspection made by the Authority during such erection shall in any way relive the owner of such building from responsibility for carrying out the Work in with the accordance requirements of Zoning Regulations of master plan,

#### COLUMN-1

#### Existing regulation

Regulations of Master plan, these Regulations planning Development Directions. In case any violations are found during construction or after obtaining completion the owner shall be required to rectify the same to the satisfaction of within Authority period of 15 days from the time such violations are intimated to the owner. In case the owner fails to comply, Authority shall ensure compliance and the expenditure incurred on doing so shall be recovered from the owner before issue of completion certificate In case completion certificate has already been obtained. such expenditure shall be recovered from the owner, if not paid within stipulated time.

arrears of land revenue.

#### COLUMN-2

#### Regulation as hereby sub-stituted

these Regulations planning and Development Directions. In case any violations are found during construction OF after obtaining completion the owner shall be required to rectify the same to the satisfaction of the Authority within a period of 15 days from the time such violations are intimated to the owner. In case the owner fails to comply, the Authority shall ensure compliance and expenditure incurred doing so shall be recovered from the owner before issue of completion certificate In case completion certificate has already been obtained, such expenditure shall be recovered from the owner, if not paid within stipulated time, as arrears of land revenue.

(2) In the unauthorized Development, Chief Executive Officer or the Officer authorized by the Chief Executive Officer, will take appropriate action in accordance with the provisions of the relevant Acts, force for the time being in force for the demolition of unauthorized constructions and the closure of premises.

- International Printer State of the State

4. In the said regulations, in regulation 37, before Table No.2 the following Table shall be inserted, namely:-

Amendment of regulation-37

#### TABLE -1

SET BACK FOR BUILDING ON RESIDENTAL PLOTS OTHER THAN GROUP HOUSING FLATTED.

NOTE: (1) SPECIFIC SETBACK SHALL BE AS PER ZONAL PLAN PREPARED BY THE AUTHORITY.

(2) MUMTY SHALL NOT BE PERMITTED ABOVE SECOND FLOOR.

(3) ACCESS ON ROOF OF SECOND FLOOR SHALL NOT BE ALLOWED.

(4) ALL DIMENSIONS GIVEN ABOVE ARE IN METRE

an any transfer Discontinuous

We will state of it is

ensulficted formulations of the control of the cont

をよっていることでは、これは、これでした。 でも、「おけい」 これにはなった。「おこう マーニーとは、これには、まないは、一本では、 フースは、「本化」の対しまった。「一、まない。 の付して、「まないます」で、(一、まない)。 これに、「ひにない」では、「一、まないます。」。

- Igunid -

a servición de la latera

ALREADY APPROVED									SETBACKS/ZONAL PLAN FOR NEW CATEGORY OF PLOTS						
PLOT CATÉGORY	UPTO 50.0 sq.m	ABOVE SPI SEA UPTO 750 NO.	ABOVE OTON ABOVE	ABOVE 1263 m.s. UPTO 2004 m.s.	AND VE 200 MA U F Y D 200 MA	ASDVE SEDEN SPTO MESMAL	480 YE 4303 SA.R. U P T O SEED SEEL	ABOVE SICE MA U P T O HILL MA	ABOVE 750 mm UPTO 100 mm	ABOVE 1006.5 sp.m UPTO 1250.5 sp.e	ABOVE 1250,0 mm UPTO 1500,0 mm	1504 MP. 1504 MP. 1754 MB	MOUTE 1790 tran UPTO 22063 sq.s.		
BUILDING ENVELOPE	<b>1</b> 3	•	į	ş:		3	<u>;</u>					21			
MAXIMUM COVERAGE ON GROUND, FRST AND SECOND PLOOR	75	75	75	75	75	65	65	.60	55	55	50	50	45		
MAXIMUM FAR.	200	190	180	180	180	160	160	150	ji. 150	150	135	135	125		
MADRIM HEIGHT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	- 15		
PRONT SET BACK	1,50	1.50	20	3.0	3.25	4.00	4.50	5.00	6,00	7,00	10.00	12.50	12.50		
SIDE SET BACK INFROM OF THE MINE INSPERSIONS OF PLAN	= 0° 	r. 199		i viti	3.0x4.5	3.0x15.0	3.0x20.0	3.5x25.0	3.5430.0	4.0x35.0	4.5x35.0	6.0x40.0	6.0x43.		
SDE SET BACK	- 3	1291 -		-		-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50		
MANARA REAR SET BACK REFERENCECTERUM	2.4x1.5	3.02.0	4.624	5.242.4	5.5:3.0	6.0x3.0	9.0x3.5	1,1.0-3.5	14,004.0	16.5x4.5	19.5x4.5	21.5x4.5	24.019		

By Order,
NAVNEET SEHGAL,
Pramukh Sachiv.

MERIDOR . IT OUT

mention than your in women,

- Futhfield

28. (2009)

THE RESERVE OF STREET

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 444 राजपत्र (कि)-2019-(1118)-599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 स्हम, लघू एवं मध्यम उद्यम-2019-(1119)-250 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।